रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2003/भाद्र 4, 1925
No. 407] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2003/BHADRA 4, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2003

सा.का.नि. 688(अ).— राजमार्ग प्रशासन नियम, 2003 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ड), खंड (ढ), खंड (ण), खंड (त), खंड (थ), खंड (द), खंड (ध), खंड (न), खंड (प), खंड (फ) और खंड (ब) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिनकी उनसे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारुप की बाबत किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाले किसी आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

आक्षेप या सुझाव श्री यू.एस. तिवारी, उप सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन 1, संसद् मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारुप नियम

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजमार्ग प्रशासन नियम, 2003 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2003 (2003 का 13) अभिप्रेत है ;

(ख) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(ग) राजमार्ग प्रशासन के संबंध में, "अधिकारी", से नियम 3 के, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट अधिकारी अभिप्रेत हैं ;

(घ) राजमार्ग प्रशासन के संबंध में, "ज्येष्ठ अधिकारी" से नियम 3 के खंड (ii) के अधीन ज्येष्ठ अधिकारी के रूप में पदाभिहित अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) "अनुज्ञापत्र" से धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया ऐसा अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है, जो उस उपधारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए है ;

(च) "पट्टे" से धारा 25 के अधीन मंजूर किया गया पट्टा अभिप्रेत है ;

(छ) नियम 9 और नियम 10 के प्रयोजनों के लिए, "अनुज्ञप्ति" से धारा 25 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(झ) इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

अध्याय 2

राजमार्ग प्रशासन द्वारा शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन तथा अभिलेखों का रखा जाना

3. राजमार्ग प्रशासनों, आदि द्वारा शक्तियों का प्रयोग - अधिनियम के उपबंधों और केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन अधिरोपित शर्तों या निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, --

(i) जहां किसी राजमार्ग प्रशासन में एक अधिकारी है, तब ऐसा अधिकारी, अधिनियम और इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निर्वहन स्वयं उसके अधीक्षण के अधीन किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उस सीमा तक किया जाएगा, जो ऐसे अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को समय-समय पर प्राधिकृत की जाए ;

(ii) जहां किसी राजमार्ग प्रशासन में एक से अधिक अधिकारी हैं, तब केंद्रीय सरकार उनमें से किसी एक को ज्येष्ठ अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी, जो ऐसे प्रत्येक अधिकारी को (स्वयं को सम्मिलित करते हुए) ऐसे राजमार्गों के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर राजमार्ग की लंबाई समनुदेशित करेगा और वह अधिकारी, जिसे इस प्रकार राजमार्गों की ऐसी लंबाई समनुदेशित की जाती है, राजमार्ग की उस लंबाई के संबंध में अधिनियम और इन नियमों के अधीन उस रीति में, जो एक अधिकारी वाले राजमार्ग प्रशासन द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिए खंड (i) में निर्दिष्ट है, राजमार्ग प्रशासन की शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा :

परंतु यह कि इस प्रकार पदाभिहित ज्येष्ठ अधिकारी के पास राजमार्ग प्रशासन के अन्य अधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन पर साधारण अधीक्षण होगा ।

IndiaCode

4. भूमि अभिलेखों का रखा जाना -- (1) प्रत्येक राजमार्ग प्रशासन के मुख्यालय में राजमार्ग भूमि रजिस्टर नामक एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्तंभों में प्रविष्ट ऐसी भूमियों की विशिष्टियां रखी जाएंगी, जो राजमार्ग प्रशासन के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर अवस्थित हैं और धारा 23 के अधीन केंद्रीय सरकार जिनकी स्वामी है ।

(2) राजमार्ग भूमि रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ को क्रमवार संख्यांकित किया जाएगा और, यथास्थिति, अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर रजिस्टर के पृष्ठों की कुल संख्या को अधिप्रमाणित करेगा और वह समय-समय पर रजिस्टर का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें की गई प्रविष्टियां सही हैं ।

5. अभिलेख शुद्धि के लिए दावा -- (1) धारा 22 की उपधारा में निर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के विरूद्ध दावा करने वाला और राजमार्ग भूमि रजिस्टर में त्रुटियां ठीक कराने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, संबद्ध अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी को लिखित शिकायत करेगा और उसके समक्ष अपने दावे को साबित करेगा और ऐसा अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् रजिस्टर में संबंधित प्रविष्टि में शुद्धि करने का आदेश दे सकेगा या दावे को नामंजूर कर सकेगा ।

(2) जहां, यथास्थिति, अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी उपनियम (1) के अधीन प्रविष्टि को ठीक करने का आदेश करता है, वहां राजमार्ग प्रशासन का संबंधित कर्मचारी बिना किसी विलंब के राजमार्ग भूमि रजिस्टर में शुद्धि करेगा और उसे ऐसे कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित और, यथास्थिति, अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा लाल स्याही में प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा ।

अध्याय 3
शर्त, किराया और अन्य प्रभार, आदि

6. वे शर्तें, जिनके अधीन अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सकेगा -- अनुज्ञा-पत्र में निम्नलिखित एक या अधिक ऐसी शर्तें अंतर्विष्ट होंगी, जिन्हें धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत, यथास्थिति, अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा मंजूर करते हुए, यातायात की सुरक्षा और सुविधा तथा अनुज्ञा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित समझे, अर्थात् :-

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे अनुज्ञा मंजूर की गई है, अनुज्ञा के अनुसरण में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जो राजमार्ग या राजमार्ग भूमि को क्षति पहुंचाएं या राजमार्ग पर यातायात में बाधा उत्पन्न करे ;

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति अनुज्ञा के अनुसरण में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जो राजमार्ग भूमि को ऐसी कोई क्षति पहुचाए, जिसे मंजूर की गई अनुज्ञा की समाप्ति के तुरंत पश्चात् ठीक न किया जा सके ;

(iii) ऐसा कोई व्यक्ति अनुज्ञा के अनुसरण में कब्जे वाले राजमार्ग पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जिससे राजमार्ग पर वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण हो ।

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी प्रकृति का कोई निर्माण नहीं करेगा, या कराएगा, जिसे मंजूर की गई अनुज्ञा की समाप्ति पर आसानी से हटाया न जा सके ;

(v) इस प्रकार अधिरोपित शर्तों का कोई उल्लंघन अनुज्ञापत्र को रद्द करने का आधार होगा ।

7. अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए किराया और अन्य प्रभार -- (1) किसी व्यक्ति को, उसके द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट दर पर राजमार्ग प्रशासन को किराये का संदाय करने पर अनुज्ञा-पत्र जारी किया जाएगा :-

प्रतिमास किराये की दर रूपए में --- अनुज्ञा-पत्र के अधीन अनुज्ञा के अनुसरण में राजमार्ग पर कब्जे में ली गई भूमि की कीमत

5 X 12

(2) जहां अनुज्ञा-पत्र जारी करके मंजूर की गई अनुज्ञा को नवीकृत किया जाता है, वहां अनुज्ञा का नवीकरण, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दर पर किराये के और जहां अनुज्ञा-पत्र के अधीन अधिभोग में ली गई भूमि पच्चीस वर्ग मीटर तक की है, वहां एक हजार रूपए के अतिरिक्त प्रभार के संदाय पर किया जाएगा तथा जहां यह भूमि पच्चीस वर्ग मीटर से अधिक है, वहां अतिरिक्त प्रभार में प्रत्येक पच्चीस वर्ग मीटर या उसके भाग के लिए एक हजार रूपए की दर से वृद्धि की जाएगी ।

8. अनुज्ञा-पत्र का प्ररूप -- प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में जारी किया जाएगा ।

9. वे शर्तें, जिनके अधीन पट्टा या अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी -- किसी व्यक्ति को अस्थाई उपयोग के लिए मंजूर दिए गए पट्टे या अनुज्ञप्ति में निम्नलिखित शर्तें अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

(i) ऐसी शर्तें, जिन पर यातायात की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी और ऐसे व्यक्ति के बीच सहमति होती है ; और

(ii) निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तें, जिन्हें राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यातायात की सुरक्षा और सुविधा तथा अनुज्ञा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित करना उचित समझे --

(क) ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जो राजमार्ग या राजमार्ग भूमि को क्षति पहुंचाएं या राजमार्ग पर यातायात में बाधा उत्पन्न करे ;

(ख) ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जो राजमार्ग भूमि को ऐसी कोई क्षति पहुचाए, जिसे, यथास्थिति, पट्टे या अनुज्ञप्ति की समाप्ति के तुरंत पश्चात् ठीक न किया जा सके ;

(ग) ऐसा व्यक्ति कब्जे वाले राजमार्ग पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जिससे राजमार्ग पर वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण हो ।

(घ) ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रकृति का कोई निर्माण नहीं करेगा, या कराएगा, जिसे, यथास्थिति, पट्टे या अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर आसानी से हटाया न जा सके ;

(ङ) अधिरोपित शर्तों के किसी उल्लंघन पर, राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समाप्त कर सकेगा ;

(च) यथास्थिति, ऐसा पट्टा या अनुज्ञप्ति, राजमार्ग प्रशासन द्वारा पट्टा या अनुज्ञप्ति दिए जाने के समय अवधारित ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी, जो पट्टे की समाप्ति पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10. पट्टा या अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए किराया या अन्य प्रभार --

(1) राजमार्ग प्रशासन द्वारा, राजमार्ग भूमि का पट्टा या अनुज्ञप्ति, उस व्यक्ति द्वारा, जिसे, यथास्थिति, पट्टा या अनुज्ञप्ति दी गई है, नीचे विनिर्दिष्ट दर पर किराये का संदाय किए जाने पर मंजूर की जाएगी :-

प्रतिमास किराये की दर रुपए में = $\frac{\text{ऐसी राजमार्ग भूमि की लागत}}{5 \times 12}$

(2) जहां राजमार्ग भूमि के पट्टे का नवीकरण किया जाता है, वहां पट्टे का प्रत्येक नवीकरण, उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट किराये के और जहां भूमि पच्चीस वर्ग मीटर तक है, वहां पांच हजार रुपए के अतिरिक्त प्रभार के संदाय पर किया जाएगा तथा जहां पच्चीस वर्ग मीटर से अधिक है, वहां ऐसे अतिरिक्त प्रभार में प्रत्येक पच्चीस वर्ग मीटर या उसके भाग के लिए पांच हजार रुपए की दर से और वृद्धि की जाएगी ।

IndiaCode

11. सूचना का प्ररुप -- धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन जारी की जाने वाली सूचना का प्ररुप वह होगा जो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

12. संनिर्माण, आदि करने के लिए साध्य लागत - धारा 26 की उपधारा (8) के अधीन किसी संनिर्माण में परिवर्तन सहित कोई संनिर्माण करने के लिए साध्य लागत वह होगी, जो समय-समय पर राजमार्ग प्रशासन द्वारा, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे संनिर्माण या संनिर्माण में परिवर्तन के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री की लागत, संबंधित क्षेत्र में श्रम प्रभारों और अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, अवधारित की जाए ।

13. बिल का प्ररुप - (1) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन दिया जाने वाला बिल उस प्ररुप में होगा, जो चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट बिल के साथ राजमार्ग प्रशासन या उस प्रशासन द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र और साथ ही ऐसे किसी अप्राधिकृत अधिभोग, संनिर्माण का, जिससे बिल संबंधित है और जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, किसी अप्राधिकृत संनिर्माण की बाबत संनिर्माण में परिवर्तन या किसी क्षति की मरम्मत भी है, संक्षिप्त विवरण भी लगा होगा ।

14. राजमार्ग तक पहुंच के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के लिए आवेदन - धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन किसी राजमार्ग तक पहुंच के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन उस प्ररुप में होगा, जो चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उसके साथ संबंधित राजमार्ग प्रशासन के पक्ष में पांच हजार रुपए की फीस भी होगी ।

15. राजमार्ग तक पहुंच के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के निबंधन और शर्तें -- राजमार्ग प्रशासन, धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा मंजूर करते समय निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों में से एक या अधिक को अधिरोपित कर सकेगा, अर्थात् :-

(i) विनिर्दिष्ट अनुज्ञा, धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति में राजमार्ग प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सीमित समयावधि और प्रयोजन के लिए होगी ;

(ii) विनिर्दिष्ट अनुज्ञा, किसी राजमार्ग की उस लंबाई तक पहुंच के लिए सीमित होगी, जो उक्त अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाए ;

(iii) ऐसा व्यक्ति, जिसे विनिर्दिष्ट अनुज्ञा दी गई है, विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के अनुसरण में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जिससे राजमार्ग को क्षति पहुंचे ;

(iv) ऐसा व्यक्ति, विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के अनुसरण में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जिससे राजमार्ग पर यातायात की सुरक्षा और सुविधा में बाधा आए ;

(v) ऐसा व्यक्ति, अनुज्ञा का उपयोग करते समय, राजमार्ग पर यातायात की सुरक्षा और सुविधा, राजमार्ग पर स्वच्छता और राजमार्ग पर न्यूसेंस और प्रदूषण को रोकने से संबंधित ऐसे मार्गदर्शन सिद्धांतों का पालन करेगा, जो राजमार्ग प्रशासन द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट किए जाएं ।

16. अनुज्ञप्ति का प्ररुप और अवधि तथा अनुज्ञप्ति के नवीकरण की रीति -- (1) धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति उस प्ररुप में होगी, जो छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी, जो एक समय में छह मास से अधिक नहीं होगी और वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में ऐसी अनुज्ञा दी गई है, राजमार्ग प्रशासन को, अनुज्ञा की समाप्ति से पूर्व एक मास के भीतर आवेदन कर सकेगा और राजमार्ग प्रशासन धारा 28 की उपधारा (2) और उस धारा की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना के अधीन जारी किए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों और अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञा का नवीकरण कर सकेगा या उसे नामंजूर कर सकेगा ।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञा का नवीकरण किया जाता है, वहां राजमार्ग प्रशासन अनुज्ञप्ति के पीछे ऐसे नवीकरण की प्रविष्टि करेगा और उस अवधि को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके लिए नवीकरण किया गया है, जो एक समय में छह मास से अधिक नहीं होगी और उसे हस्ताक्षरित और मुद्रा द्वारा पृष्ठांकित करेगा और जहां नवीकरण नामंजूर किया जाता है, वहां राजमार्ग प्रशासन ऐसी नामंजूरी के लिए कारण लेखबद्ध करेगा और उसकी संसूचना संबद्ध व्यक्ति को देगा ।

अध्याय 4

यान, आदि के हस्तांतरण, लदान भार, सुरक्षा नियंत्रण की रीति

17. लदान भार की सीमा - राजमार्ग प्रशासन, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, राजमार्ग या उसके किसी भाग या राजमार्ग पर या उसके आर-पार बने किसी पुल, पुलिया या सेतुक के संबंध में समय-समय पर लदान भार की सीमा अवधारित कर सकेगा, जो धारा 32 के प्रयोजनों के लिए लदान भार सीमा होगी और राजमार्ग प्रशासन संबद्ध व्यक्तियों की जानकारी के लिए स्थानीय समाचार-पत्रों में उस लदान भार सीमा को प्रकाशित करेगा ।

18. धारा 32 के अधीन यानों के आने-जाने पर प्रतिबंध या निर्बंधन - जहां धारा 32 के अधीन राजमार्ग प्रशासन का यह समाधान हो जाता है कि किसी राजमार्ग या उसके किसी भाग या राजमार्ग पर या उसके आर-पार बने किसी पुल, पुलिया या सेतुक की सतह इस प्रकार डिजाइन नहीं की गई है कि उस पर नियम 17 के अधीन अवधारित लदान भार सीमा से अधिक लदान भार वाले यान चल सकें, तो यह स्थानीय समाचार पत्रों में इस तथ्य की लोक सूचना द्वारा और संबंधित यातायात की जानकारी के लिए, यथास्थिति, ऐसे राजमार्ग या उसके किसी भाग या ऐसे राजमार्ग पर या उसके आर-पार बने ऐसे पुल, पुलिया या सेतुक के निकट उपयुक्त दूरियों पर इस तथ्य को अंतर्विष्ट करने वाले सूचना पट्ट लगाने के पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे राजमार्ग या उसके किसी भाग या राजमार्ग पर अथवा उसके आर-पार बने किसी पुल, पुलिया या सेतुक पर ऐसे यानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकेगा या निर्बंधित कर सकेगा और किसी संदेह की दशा में राजमार्ग प्रशासन यानो की ऐसी आवाजाही को निदेशित करने के लिए इस नियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए किसी यान पर लदान भार की अनुज्ञेय सीमा से अधिक के लदान भार सीमा को हटा सकेगा ।

19. धारा 35 के अधीन यातायात संकेतों का रखा जाना या लगाया जाना - राजमार्ग प्रशासन, धारा 35 के प्रयोजनों के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक या अधिक ऐसे यातायात संकेतों को, जो प्रयोजन को पूरा करने के लिए उचित और पर्याप्त हों, यातायात की सुविधा के लिए उपयुक्त स्थानों पर रखवाएगा या लगवाएगाः

परंतु यदि राजमार्ग प्रशासन यह समझता है कि धारा 35 के अधीन किसी विशिष्ट प्रयोजन को और अधिक रीति में पूरा करने के लिए किसी ऐसे संकेत में कोई उपांतरण किया जाना अपेक्षित है तो वह, उस प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस प्रकार उपांतरित संकेतों को रख सकेगा या लगा सकेगा ।

20. धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन सुरक्षा नियंत्रण - ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके भारसाधन या कब्जे में कोई वाहन हैं, उस वाहन को--

(i) किसी राजमार्ग में तब नहीं ले जाएगा, जब तक कि,-

(क) उस वाहन को ऐसी गति सीमा के भीतर नहीं चलाया जाता है, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की (1988 का 59) धारा 112 के अधीन किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे वाहन को चलाने के लिए लागू है;

(ख) ऐसा वाहन, किसी सार्वजनिक स्थान में उसके चलाए जाने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 113 की उपधारा (2) के अर्थान्तगत भारवहन सीमाओं के भीतर नहीं हो; और

(ग) ऐसा वाहन, ब्रेक और स्टीयरिंग गियर, संकेतन साधित्र, लैम्प और परावर्तकों, गति नियंत्रकों, धुंए, दिखाई देने वाली भाप, चिंगारी, राख, बाल कण या तेल के उत्सर्जन, यानों से निकलने वाली या होने वाली आवाज को घटाने, आटो - डिपर, मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल के परिवहन संबंधी उपबंध और यान में अन्तःनिर्मित सुरक्षा युक्तियों के रूप में प्रयुक्त संघटकों के मानकों के संबंध में मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 110 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं करता हो; अथवा

(ii) किसी राजमार्ग पर तब तक खड़ा नहीं करेगा, जब तक कि-

(क) वह ऐसी परिस्थितियों में न खड़ा किया गया हो, जिससे राजमार्ग के अन्य उपयोगकर्ताओं को या उस पर यात्रियों को खतरा, बाधा या असम्यक असुविधा न होती हो या होने की संभावना न हो ;

(ख) उसके चालक या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की, जिसको उसकी देख रेख का कार्य सौंपा गया हो, गहन देख रेख में न हो और ऐसे चालक या व्यक्ति द्वारा दस या अधिक घंटों के लिए आरक्षित न छोड़ा गया हो;

(ग) राजमार्ग प्रशासन द्वारा ऐसे खड़े किए जाने के लिए विधिक रूप से अनुज्ञात या अनुज्ञात स्थान पर खड़ा न किया गया हो ;

(घ) क्षतिग्रस्त, दग्ध या यातायात को संकट पैदा करने वाली विखण्डित स्थिति मे न हो;

(ङ) राजमार्ग पर सहज और सुगम यातायात संचलन में कोई बाधा पैदा न करता हो ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके भारसाधन या कब्जे में कोई पशु है, उस पशु को-

(i) किसी राजमार्ग में तब तक नहीं ले जाएगा, जब तक कि-

(क) उस पशु की देख रेख किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार तत्परतापूर्वक नहीं की जाती है, जिससे कि राजमार्ग पर यातायात को किसी खतरे या भय से बचाया न जा सके ;

(ख) उस पशु की उस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार देखरेख न की जाती हो, जिससे कि राजमार्ग पर यातायात को काई कठिनाई न पैदा हो;

(ग) ऐसे पशु की उस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार देखरेख न की जाती है, जिससे कि उस पशु को राजमार्ग को प्रदूषित या नुकसान करने से रोका जा सके;

(ii) राजमार्ग में उस पशु को-

(क) राजमार्ग पर उस स्थान से भिन्न ऐसे किसी स्थान पर खड़ा नहीं करेगा, जो राजमार्ग प्रशासन द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से आबंटित न किया गया है;

(ख) किसी व्यक्ति की देखरेख के बगैर दशा में खड़ा नहीं करेगा ;

(ग) यातायात को कोई नुकसान या भय पैदा करने के लिए पशु को अनुमत करने वाली किसी दशा में खड़ा नहीं करेगा; और

(घ) ऐसी दशा में खड़ा नहीं करेगा जिससे पशु द्वारा राजमार्ग को प्रदूषित किया जाए या उसे हानि पहुँचे ।

21. वाहन या पशु को उसके स्वामी, आदि को सौंपे जाने की रीति -(1) जहाँ राजमार्ग प्रशासन द्वारा धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन किसी वाहन या पशु को कब्जे में लिया गया है, वहाँ, यथास्थिति, उस पशु या वाहन का स्वामी होने का दावा करने वाला व्यक्ति, राजमार्ग प्रशासन को यह कथन करते हुए आवेदन कर सकेगा कि वह, यथास्थिति, उस वाहन या पशु का स्वामी है और राजमार्ग प्रशासन द्वारा, धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन वाहन या पशु को हटाने में उपगत हुए व्यय का संदाय करने पर, राजमार्ग प्रशासन द्वारा ऐसा वाहन या पशु उसे सौंपा जा सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन करने वाला व्यक्ति, राजमार्ग प्रशासन के समक्ष यह साबित करने के लिए कि वह, यथास्थिति, उस वाहन या पशु का स्वामी है, उसके समाधान के लिए साक्ष्य भी पेश करेगा ।

(3) जहाँ राजमार्ग प्रशासन का उपधारा (2) के अधीन साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, उस वाहन या पशु का स्वामी है, वहाँ वह

IndiaCode

धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन उस वाहन या पशु को हटाने में उपगत हुए व्यय का निर्धारण करेगा और इस प्रकार निर्धारित किए गए व्यय का उस व्यक्ति द्वारा राजमार्ग प्रशासन को संदाय किए जाने के पश्चात्, राजमार्ग प्रशासन, यथास्थिति, उस वाहन या पशु को, उस व्यक्ति को सौंप देगा ।

(4) किसी वाहन के सात दिन तक अदावाकृत बने रहने की दशा में ऐसे वाहन की बाबत संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट की जाएगी ।

(5) किसी पशु के अदावाकृत रहने की दशा में, राजमार्ग प्रशासन उस पशु की, उसके वापस सौंपे जाने तक, अभिरक्षा और देखभाल की उचित व्यवस्था करेगा ।

22. धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप - धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जाएगा ।

23. धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन फीस और अन्य प्रभार - (1) राजमार्ग प्रशासन, उन व्यक्तियों पर, जिन्हें धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन अनुमति दी गई है, नीचे विनिर्दिष्ट दर पर फीस अधिरोपित कर सकेगा, अर्थात्:-

$$\text{प्रतिमास फीस रुपयों में} = \frac{\text{अनुमति के अधीन प्रस्तावित कार्य के लिए अधिभोग या उपयोग की गई या राजमार्ग का भाग बनने वाली भूमि की लागत}}{5 \times 12}$$

(2) जहाँ राजमार्ग का भाग बनने वाली ऐसी कोई भूमि, जिसकी बाबत उपनियम (1) के अधीन फीस अधिरोपित की गई है, किसी नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है, वहां उपनियम (1) के अधीन अधिरोपित फीस के बीस प्रतिशत की दर से अन्य प्रभार भी अधिरोपित किए जा सकते हैं, और जहाँ ऐसी भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, वहां इस प्रकार अधिरोपित किए जाने वाले अन्य प्रभार दस प्रतिशत होंगे ।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "नगरपालिका क्षेत्र" का वही अर्थ है, जो संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (क) के अधीन उसका है और "ग्रामीण क्षेत्र" से नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र अभिप्रेत है ।

24. धारा 43 के अधीन संक्षिप्त विचारण - (1) राजमार्ग प्रशासन या उस प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, यदि वह अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई जाँच पड़ताल करना चाहता है तो वह निम्नलिखित रीति में संक्षिप्त जाँच कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) यथास्थिति, यह या वह अधिकारी, राजमार्ग भूमि के अप्राधिकृत अधिभोग वाले स्थान का दौरा कर सकेगा, ऐसी भूमि का निरीक्षण कर सकेगा और अधिनियम के अधीन समुचित कार्रवाई के लिए किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए अपने संप्रेक्षणों को लेखबद्ध कर सकेगा ;

(ख) यदि, यथास्थिति, यह या वह अधिकारी आवश्यक समझे तो धारा 42 में निर्दिष्ट संबंधित ग्राम प्रधान, ग्राम लेखाकार, ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पदधारी या ऐसे अन्य व्यक्ति का कथन अभिलिखित कर सकेगा । वह इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि ऐसा कोई अपराध, जिसके अन्तर्गत राजमार्ग की भूमि का अप्राधिकृत अधिभोग, नुकसान या विनाश करना भी है, किया गया है ;

(ग) जहाँ, यथास्थिति, यह या वह अधिकारी खंड (ख) के अधीन कथन अभिलिखित करता है वहाँ वह ऐसा कथन दो प्रतियों में अभिलिखित करेगा और उस पर उस ग्राम के, जहाँ इस प्रकार कथन अभिलिखित किया गया है, यथास्थिति, ग्राम प्रधान, ग्राम लेखाकार, ग्राम चौकीदार, अन्य ग्राम पदधारी या किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा ।

(2) जहाँ उपनियम (1) द्वारा की गई जाँच के आधार पर, राजमार्ग प्रशासन या उस प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति का यह समाधान हो जाता है कि उसके द्वारा अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तो, यथास्थिति, वह या वह प्राधिकारी विलंब किए बिना ऐसी कार्रवाई करेगा और जहाँ राजमार्ग प्रशासन या उस अधिकारी का ऐसी जाँच के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि राजमार्ग भूमि के अप्राधिकृत अधिभोग, हानि या विनाश करने वाला कोई अपराध किया गया है, वहाँ विलंब किए बिना उसकी सूचना, खंड (क) के अधीन लेखबद्ध किए गए संप्रक्षणों या ऐसे अपराध के किए जाने के संबंध में उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अभिलिखित किए गए कथन के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाने मे देगा ।

(3) प्रत्येक राजमार्ग प्रशासन, प्रत्येक तीन मास में एक बार केन्द्रीय सरकार को एक संक्षिप्त रिपोट भेजेगा, जिसमें उस अवधि के भीतर उस राजमार्ग प्रशासन की अधिकारिता के भीतर

उपनियम (1) के अधीन की गई जाँचों और ऐसी जाँचों के आधार पर की गई कार्रवाइयों का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (3) के अधीन संक्षिप्त रिपोर्टों की प्राप्ति पर धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन ऐसा कोई साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगी, जिसे यह सरकार, राजमार्ग प्रशासन द्वारा अधिनियम के अधीन शक्तियों के उचित प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिए ठीक समझे ।

25. सूचना या बिल की तामील करने या दिए जाने की रीति - अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 47 के अधीन जारी या तैयार की गई सूचना या बिल की निम्नानुसार तामील की जा सकेगी या उसे दिया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) ऐसी सूचना या बिल की संबंधित व्यक्ति पर तामील की जा सकेगी या उसकी एक प्रति उसे सौंप कर और उसकी दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर लेकर उसे दिया जा सकेगा।

(ख) यदि सूचना या बिल का तामील किया जाना या दिया जाना खंड (क) के अधीन सहज रूप में संभव नहीं है तो ऐसी सूचना या बिल को संबंधित व्यक्ति को ,उसके ज्ञात निवास स्थान के पते पर, रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा और उस व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत डाक का भेजा जाना, यथास्थिति, ऐसी सूचना की उस पर तामील करना या बिल का दिया जाना होगा और उसके द्वारा उस रजिस्ट्रीकृत डाक को लेने से इंकार करने की दशा में, रजिस्ट्रीकृत डाक पर डाकघर कर्मचारी द्वारा ऐसी नामंजूरी की टिप्पणी को, यथास्थिति, ऐसी सूचना या बिल को उस पर तामील किया गया या उसे दिया गया समझा जाएगा ।

(ग) यदि खंड (क) और (ख) के अधीन ऐसी सूचना या बिल को तामील करना या उसे दिया जाना संभव नहीं है तो उस सूचना या बिल की अन्तर्वस्तुओं को उस स्थान में बांटे जाने वाले समाचार - पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जहाँ संबंधित व्यक्ति वास्तव में या स्वैच्छया निवास करता है या कारबार करता है या अपनी सूचना के लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है और ऐसे प्रकाशन को उस व्यक्ति पर तामील करना या उसे बिल का दिया जाना समझा जाएगा ।

26. केन्द्रीय सरकार का निदेश - यदि इन नियमों को लागू करने के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन होता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को, उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा तथा केन्दीय सरकार के विनिश्चय को लागू किया जाएगा ।

पहली अनुसूची

[नियम 4(1) देखें]

राजमार्ग भूमि रजिस्टर

रा. राजमार्ग सं.

कि.मी. सं.

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	जिले का नाम	तहसील/उप-मंडल का नाम	ग्राम/मोहल्ले का नाम	प्लाट सं./खसरा सं.	भूमि का क्षेत्रफल एकड़ (हक्टेयर में)

टिप्पण : इस रजिस्टर में किलोमीटरवार सूचना रखी जानी है ।

IndiaCode

दूसरी अनुसूची

(नियम 8 देखें)

राजमार्ग भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुज्ञा-पत्र का प्ररुप

(राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन)

1.	उस व्यक्ति का नाम, जिसे अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	स्थायी पता (टेलीफोन नं. सहित)	:	
4.	पत्र व्यवहार के लिए पता (टेलीफोन नं. सहित)	:	
5.	अनुज्ञा-पत्र के अनुसरण में अधिग्रहित किए जाने वाले राजमार्ग का क्षेत्र वर्ग मीटर में	:	
6.	ऐसे क्षेत्र की अवस्थिति (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. और किलोमीटर सहित)	:	
7.	प्रयोजन, जिसके लिए अनुज्ञा-पत्र के अधीन अनुज्ञा दी गई	:	
8.	वह अवधि तारीख सहित, जिसके लिए अनुज्ञापत्र के अधीन अनुज्ञा दी गई	:	 से तक
9.	वे शर्तें, जिनके अध्यधीन अनुज्ञापत्र के अधीन अनुज्ञा दी गई	:	
10.	संदत्त किराया		

अनुज्ञा पत्र मंजूर करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

स्थान :
तारीख :

टिप्पण : नवीकरण, जिसके अंतर्गत वह समय अवधि भी है, जिसके लिए नवीकरण किया जाता है और उसके लिए संदत्त किराये और अतिरिक्त प्रभारों के संबंध में प्रविष्टियां नवीकरण करने की अनुज्ञा देने वाले अधिकारी की मुद्रा सहित, इस अनुज्ञा पत्र के पीछे की जाएंगी और उन्हें पृष्ठांकित किया जाएगा ।

IndiaCode

तीसरी अनुसूची
(नियम 11 देखें)

अप्राधिकृत कब्जे को हटाने के लिए सूचना का प्ररुप

(राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन)

मुझे को प्राप्त सूचना के आधार पर मेरे द्वारा राजमार्ग भूमि का आवधिक रूप से निरीक्षण किए जाने पर मेरा यह समाधान हो गया है कि रा.रा. सं. (क्षेत्र की पहचान के लिए पर्याप्त अवस्थिति दर्शित करें) के कि.मी. पर स्थित (क्षेत्रफल विनिर्दिष्ट करें) क्षेत्र वाले राजमार्ग पर अप्राधिकृत कब्जा हुआ है और ऐसा अप्राधिकृत कब्जा आपके द्वारा किया गया है । ऐसे अप्राधिकृत कब्जे के लिए आप उत्तरदायी है,

अतः, आपको (उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे सूचना जारी की जानी है) सूचित किया जाता है कि आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस सूचना के आपको तामील किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर ऐसा अप्राधिकृत कब्जा हटा लें । आप, इस सूचना के आपको तामील किए जाने की तारीख से तीन दिन के भीतर (उस अधिकारी का पदनाम और पता दर्शित करें, जिसे अभ्यावेदन दिया जाना है) को अभ्यावेदन कर सकते हैं और ऐसे अभ्यावेदन पर, यदि किया जाता है तो (सुनवाई की तारीख और स्थान दर्शित करें) को पर सुनवाई की जाएगी और इस सूचना को ध्यान में रखें कि इस सूचना के अनुपालन में असफल रहने पर आप राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धार 26 की उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित किए जाने और उपरिवर्णित राजमार्ग भूमि से समरी निष्कासन के लिए दायी होंगे ।

मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन, तारीख को जारी ।

राजमार्ग प्रशासन या प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर

चौथी अनुसूची

(नियम 13 देखें)

अप्राधिकृत कब्जे को हटाने की लागत और अधिरोपित जुर्माने की वसूली लिए बिल का प्ररुप

(राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन तामील किया जाए)

1.	उस व्यक्ति का नाम, जिसे बिल तामील किया जाना है	:
2.	पिता का नाम	:
3.	ऐसे व्यक्ति का नाम (टेलीफोन नं. सहित)	:
4.	अप्राधिकृत कब्जे की अवस्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. और किलोमीटर सहित	:
5.	अप्राधिकृत कब्जे को हटाने/संनिर्माण में परिवर्तन सहित संनिर्माण करने/टूट-फूट की मरम्मत करने में उपगत व्यय	:
	अतिरिक्त प्रभार	
	जुर्माना	
	योग	

बिल जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर

मुद्रा

स्थान :
तारीख :

IndiaCode

पांचवीं अनुसूची

(नियम 14 देखें)

किसी राजमार्ग पर पहुंच के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के लिए आवेदन का प्ररुप

(राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन)

सेवा में,

राजमार्ग प्रशासन,

.....

.....

1.	आवेदक का नाम	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	आवेदक का पता (टेलीफोन नं. सहित)	:	
4.	राजमार्ग सं. और राजमार्ग पर पहुंच का वह स्थान, जिस पर पहुंच के लिए अनुज्ञा मांगी गई है	:	
5.	ऐसी अनुज्ञा का प्रयोजन	:	
6.	पहुंच के साधन, जिनसे मांगी गई अनुज्ञा संबंधित	:	
7.	ऐसी अनुज्ञा के आधार (यदि कोई हो), जिनका आवेदक उल्लेख करना चाहता है	:	
8.	वह अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है	:	 से तक
9.	संपदा फीस की विशिष्टियां	:	

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

IndiaCode

छठी अनुसूची

राजमार्ग तक पहुंच के लिए अनुज्ञप्ति का प्ररुप

(राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन)

1. उस व्यक्ति का नाम, जिसे अनुज्ञप्ति जारी की गई है :
2. पिता का नाम :
3. ऐसे व्यक्ति का पता (टेलीफोन नं. सहित) :
4. विनिर्दिष्ट अनुज्ञा का प्रयोजन :
5. उस राजमार्ग का संक्षिप्त विवरण, जिसके संबंध में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा दी गई है (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. और किलोमीटर सहित) :
6. पहुंच के साधन, जिनसे ऐसी अनुज्ञा संबंधित है :
7. वह अवधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति मान्य है : से तक
8. निबंधन और शर्तें (यदि कोई हो) :

अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

स्थान :
तारीख :

IndiaCode

सातवीं अनुसूची

(नियम 22 देखें)

राजमार्ग भूमि पर संनिर्माण, प्रतिष्ठापन आदि के लिए आवेदन का प्ररुप

(राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए)

सेवा में,

राजमार्ग प्रशासन,

.....

.....

1.	आवेदक का नाम	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	पता (टेलीफोन नं. सहित)	:	
4.	अभिग्रहण किए जाने वाले राजमार्ग का अवस्थिति और भाग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. और किलोमीटर भी दर्शाएं)	:	
5.	प्रयोजन	:	
6.	राजमार्ग भूमि के अधिग्रहण की अवधि	:	
7.	कार्य निष्पादन की पद्धति (कार्य की ड्राईंग/नक्शे का विस्तृत ब्यौरा संलग्न करें)	:	
8.	संनिर्माण की अवधि	:	 से तक
9.	राजमार्ग के ऐसे भाग के जीर्णोद्धार की पद्धति	:	

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

[फा. सं. एन.एच.-11014/4/2003-पी. एण्ड एम.]

यू.एस. तिवारी, उप सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2003

G.S.R. 688(E).— The following draft of the Highways Administration Rules, 2003, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with Clauses (a), (g), (h), (i), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v) and (w) of sub-section (2) of section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) is published as required by said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft within the time period specified above shall be considered by the Central Government.

The objections or suggestions may be sent to Shri U.S. Tiwari, Deputy Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhavan, 1, Parliament Street, New Delhi-110 001.

IndiaCode

DRAFT

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. - (1) These rules will be called the Highways Administration Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003);

(b) "section" means a section of the Act;

(c) "Officer", in respect of a Highway Administration, means the Officer referred to in clause (i) or clause (ii) of rule 3, as the case may be;

(d) "Senior Officer", in respect of a Highway Administration, means the Officer designated as Senior Officer under clause (ii) of rule 3;

(e) "permit" means permit issued under sub-section (2) of section 24 for granting permission under that sub-section;

(f) "lease" means the lease granted under section 25;

(g) "licence", for the purposes of rules 9 and 10 means the licence granted under section 25;

(h) "Schedule" means Schedule annexed to these rules;

(i) words and expressions used in these rules which are not defined in these rules but are defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

CHAPTER II

EXERCISE OF POWERS AND FUNCTIONS BY THE HIGHWAY ADMINISTRATIONS AND MAINTENANCE OF RECORDS.

3. Exercise of powers by Highways Administrations, etc. – Subject to the provisions of the Act and the conditions or limitations imposed by the Central Government under proviso to sub-section (1) of section 3, -

(i) where a Highway Administration consists of one Officer, then, such Officer shall exercise the powers and discharge the functions of the Highways Administration under the Act and these rules himself or such powers shall be exercised and functions shall be discharged by the subordinate officer under his supervision to the extent as is authorised by such officer to the subordinate officers from time to time;

(ii) where a Highway Administration consists of more than one Officer, then, the Central Government shall designate one of them as Senior Officer who shall assign to each of such Officer (including himself), the length of highway within the jurisdiction of such highways and the Officer to whom such length of highways is so assigned shall exercise the powers and discharge the functions of the Highway Administration under the Act and these rules in respect of such length of highway in the manner as specified in clause (i) for exercising of powers and discharging of functions of Highway Administrations consisting of one Officer:

Provided that the Senior Officer so designated shall have the general supervision over the exercising of powers and discharging of powers of the Highway Administration by other Officers.

4. Maintenance of land records. – (1) There shall be maintained at the head office of every Highway Administration a register to be called the Highway Land Register in which the particulars of the land situated within the jurisdiction of the Highway Administration of which the Central Government is the owner under section 23 shall be entered in the columns specified in the First Schedule.

(2) Every page of the Highway Land Register shall be consecutively numbered and on the first page of the Register, the Officer or the Senior Officer, as the case may be,

shall authenticate the number of pages which the Register contains and he shall from time to time inspect the Register and ensure that the entries made therein are correct.

5. Claim for correction of records. – (1) Any person claiming against the ownership of the Central Government referred to in sib-section of section 22 and desirous of correction in the Highway Land Register, shall make written complaint to the concerned Officer or the Senior Officer as the case may be, and prove his claim before him and such Officer or Senior Officer, after considering the evidence produced by such person, may order to correct the concerned entry in the Register or reject the claim.

(2) Where the Officer or Senior Officer, as the case may, orders to correct the entry in sub-rule (1) such correction shall be made in the Highway Land Register without delay by the concerned official of the Highway Administration and it shall also be signed by such official and counter-signed in red ink by the Officer or Senior Officer, as the case may be.

CHAPTER III

CONDITION, RENT AND OTHER CHARGES, ETC.

6. Conditions subject to which permit may be issued. – The permit shall contain any one or more of the following conditions which the Senior Officer, Officer or officer authorised under sub-section (1) of section 24, as the case may be, while granting permission under sub-section (2) of said section deems fit having regard to the safety and convenience of traffic and nature of the permission, namely :-

(i) that the person to whom the permission has been granted shall not do or cause to be done any act in pursuance of the permission which may cause damage to highway and highway land or inconvenience to the traffic on the highway;

(ii) that such person shall not do or cause to be done any act in pursuance of the permission which may cause any damage to the highway land which cannot be restored immediately on the expiry of the permission granted;

(iii) that such person shall not do or cause to be done any act on the highway occupied in pursuance of the permission which may cause air pollution or water pollution or noise pollution on the highway;

(iv) that such person shall not make or cause to be made any structure of such nature which cannot be removed easily on the expiry of the permission granted;

(v) that any breach of the conditions so imposed shall be a ground to cancel the permit.

7. Rent and other charges for issuing permit. – (1) The permit shall be issued to a person on payment of rent to the Highway Administration at the rate as specified below :-

$$\text{Rate of rent per month in rupees} = \frac{\text{Cost of land on Highway occupied in pursuance of permission under the permit.}}{5 \times 12}$$

(2) Where the permission granted by issuing the permit is renewed, the renewal of the permission shall be made on payment of rent at the rate specified in sub-rule (1) and the additional charge amounting to rupees one thousand where the land occupied under the permit is up to twenty five square metre and where it exceeds twenty five square metre such additional charge shall increase further at the rate of one thousand rupees per twenty five square metre or part thereof.

8. Form of permit. – Every permit shall be issued in the Form specified in the Second Schedule.

9. Condition subject to which lease or licence may be granted. – The lease or licence of highway land granted to a person for temporary use shall contain the following conditions, namely :-

(i) such conditions which are agreed to between Highway Administration or the officer authorised by such administration in this behalf, and such person, having regard to the safety and convenience of traffic; and

(ii) any one or more of the following, which the Highway Administration or the officer authorised by such administration deems fit, having regard to the safety and convenience of traffic, to impose –

(a) that such person shall not do or cause to be done any act on such highway land which may cause damage or inconvenience to the traffic to the Highway;

(b) that person shall not do or cause to be done any act on such highway land which may cause any damage to the highway land which cannot be restored on the termination of the lease or licence, as the case may be;

(c) that such person cannot do or cause to be done any act on such highway land which may cause air pollution or water pollution on the Highway;

(d) that such person shall not make or cause to be made on such highway land any structure of such nature which cannot be removed easily on the termination of the lease or licence, as the case may be;

(e) that on any breach of the conditions imposed, the Highway Administration or the officer authorized by such administration in this behalf may terminate the lease or licence, as the case may be;

(f) that such lease or licence, as the case may be, shall be valid for a period determined by the Highway Administration at the time to lease or licence which shall not exceed five years on the expiry of lease.

10. Rent or other charges for granting lease or licence. – (1) The lease or licence of highway land shall be granted on payment of rent by the person to whom the lease or licence, as the case may be, is given to the Highway Administration at the rate as specified below :-

Rate of rent per month in rupees = Cost of such highway land

(2) Where the lease of highway land is renewed, each renewal of the lease shall be made on payment of rent specified in sub-rule (1) and additional charge amounting to rupees five thousand where such highway land is up to twenty five square metre and where it exceeds twenty five square metre such additional charge shall increase further at the rate of five thousand rupees per twenty five square metre or part thereof.

11. Form of notice. – The Form of notice to be issued under sub-section (2) of section 26 shall be such as is specified in the Third Schedule.

12. The feasible cost for making construction, etc. – The feasible cost for making construction including alteration of any construction under sub-section (8) of section 26 shall be such as may be determined from time to time by the Highway Administration, with the previous approval of the Central Government having regard to the cost of material to be utilised for such construction or alteration of construction, the rate of labour charges in the concerned area and other relevant factors.

13. Form of bill. – (1) The bill to be served under sub-section (2) of section 27 shall be in such Form as is specified in the Fourth Schedule.

(2) The bill referred to in sub-rule (1) shall be accompanied with a certificate issued by the Highway Administration or the officer authorized by such administration in this behalf and also with a brief description of unauthorized occupation, construction including alteration of construction in respect of any unauthorized construction or repairing of any damage, as the case may be, to which the bill belongs.

14. Application for specific permission to access to a Highway. – The application for obtaining specific permission for access to a Highway under sub-section (2) of section 29 shall be in such Form as is specified in the Firth Schedule and shall be accompanied with a fee of rupees five hundred drawn in favour of the concerned Highway Administration.

15. Terms and conditions for specific permission to access to a Highway. – The Highway Administration, may, while granting permission under sub-section (2) of section 29, impose any one or more of the following terms and conditions, namely :-

(i) that the specific permission shall be for a limited period of time and purpose as specified by the Highway Administration in the licence obtained under sub-section (3) of section 29;

(ii) that the specific permission shall be limited for the access to such length of a Highway as may be specified in the said licence;

(iii) that the person to whom the specific permission is given shall not do or cause to be done in pursuance of the specific permission any act which may cause any damage to Highway;

(iv) that such person shall not do or cause to be done, in pursuance of the specific permission, any act by which safety and convenience of traffic on the Highway shall be disturbed;

(v) that such person shall while utilising permission shall observe such guidelines relating to safety and convenience of traffic on the Highway, hygiene, prevention of nuisance and pollution on the Highway as may be specified by the Highway Administration in the said licence.

16. Form of licence and the period and manner of renewal of licence. – (1) The licence under sub-section (3) of section 29 shall be in such Form as specified in the Sixth Schedule.

(2) The specific permission under the licence referred to in sub-rule (1) shall be valid up to a period specified in the licence which shall not exceed six months at a time and the person in whose favour such permission is given may make application within one month before the expiry of the permission to the Highway Administration and the Highway Administration may having regard to the guidelines and instructions issued under sub-section (2) of section 28 and the notification under sub-section (3) of that section either renew the permission under the licence or reject the same.

(3) Where the permission under licence is renewed under sub-rule (2), the Highway Administration shall make the entry for such renewal on the back of the licence and specify the time for which the renewal is made which shall not exceed six months at a time and endorse the same with signature and seal and where the renewal is rejected the Highway Administration shall record the reason in writing for such rejection and communicate the same to the person concerned.

CHAPTER IV

LADEN WEIGHT, SAFETY CONTROL AND MANNER OF HANDING OVER THE VEHICLE, ETC.

17. Limit of laden weight. – The Highway Administration may, with the previous approval of the Central Government, determine the limit of laden weight in respect of Highway or any part thereof, or any bridge, culvert or causeway built on or across the Highway, as the case may be, from time to time which shall be the limit laden weight for the purposes of section 32 and the Highway Administration shall publish such limit of laden weight in local newspaper for the information of the concerned persons.

18. Prohibition or restriction of the plying of vehicle under section 32. – Where the Highway Administration is satisfied under section 32 that the surface of a Highway or any part thereof, or any bridge, culvert or causeway built on or across the Highway is not designed to carry vehicle of which the laden weight exceeds the limit of laden weight as determined under rule 17, it may, by public notice of such fact in the local newspapers and after placing signboards containing such fact at suitable distances nearby such Highway or any part thereof or any bridge, culvert or causeway built on across the Highway, as the case may be, for the information of the traffic concerned, prohibit or restrict the plying of such vehicles on or over such Highway or any part thereof or such bridge, culvert or causeway built on or across the Highway, as the case may be, and in case of doubt, the Highway Administration may remove the additional laden weight in excess of the permissible limit of the laden weight of any vehicle to implement the provisions of this rule for directing such plying of the vehicle.

19. Traffic signs to be placed or erected under section 35. – The Highway Administration shall, for the purposes of section 35 cause one or more of the traffic signs specified in the First Schedule to the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) suitable and sufficient to serve the purpose, to be placed or erected at suitable places for the convenience of the traffic:

Provided that in case the Highway Administration considers that any modification in any such sign is required to serve a particular purpose under section 35 in more useful manner, it may place or erect so modified signs after the approval of the Central Government for such purpose.

20. Safety control under sub-section (1) of section 37. – (1) No person in charge of, or in possession of, any vehicle shall allow such vehicle –

(i) to proceed on a Highway unless –

(a) such vehicle is driven within such limit of speed as is applicable for the driving of such vehicle in any public place under section 112 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988);

(b) such vehicle is within the limits of weight within the meaning of sub-section (2) of section 113 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) for its driving in any public place; and

(c) such vehicle complies with rules made by the Central Government under section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 relating to brakes and steering gear, signalling appliances, lamps and reflectors, speed governors, emission of smokes, visible vapour, sparks, grid or oil, reduction of noise emitted by, or caused by, vehicles, auto dipper, provision for transportation of goods of dangerous or hazardous nature to human life and standards for emission or air pollutants; or

(ii) to stand on a Highway unless –

(a) stands in such circumstance which has not to cause or likely to cause danger, obstruction or undue inconvenience to other users of the Highway or to the passengers thereon;

(b) is under the close supervision of its driver or any other person assigned its supervision and is not left unattended by such driver or person unattended for ten hours or more;

(c) is parked in a place legally allowed or allowed by the Highway Administration for such parking;

(d) is wrecked, burnt or impartially dismantled condition creating a traffic hazard; and

(e) is not creating any obstruction in a smooth and easy traffic movement on the Highway.

IndiaCode

(2) No person in charge of, or in possession of, any animal shall allow such animal –

(i) to proceed on a Highway unless –

(a) such animal is attended by a person so efficiently to avoid any danger or fear to the traffic on the Highway;

(b) such animal so attended by a person so as not to create any uneasiness to the traffic on the Highway; and

(c) such animal is so attended by a person so as not to allow such animal to pollute or damage the Highway;

(ii) to stand on a Highway –

(a) at a place on the Highway other than a place which is specifically allocated by the Highway Administration for such purposes;

(b) in a condition unattended by a person;

(c) in a condition to allow the animal to cause any damage or fear to the traffic; and

(d) in a condition to allow the animal to pollute or damage the Highway.

21. The manner of handing over the vehicle or animal to the owner, etc. – (1) Where a vehicle or animal has been taken into possession by the Highway Administration under sub-section (2) of section 37, a person claiming to be the owner of such vehicle or animal, as the case may be, may make an application to the Highway Administration stating therein that he is the owner of such vehicle or animal, as the case may be, and such vehicle or animal may be handed over to him by the Highway Administration on payment of expenses incurred by the Highway Administration in removal of the vehicle or animal under sub-section (2) of section 37.

(2) The person making an application under sub-rule (1) shall also produce evidence before the Highway Administration to its satisfaction to prove that he is the owner of such vehicle or animal as the case may be.

(3) Where the Highway Administration is satisfied after considering the evidence under sub-rule (2) that such person is the owner of such vehicle or animal, as the case may be, it shall assess the expenses incurred in the removal of such vehicle or animal under sub-section (2) of section 37 and after payment of the expenses so assessed to the Highway Administration by such person, the Highway Administration shall hand over such vehicle or animal, as the case may be, to such person.

(4) If a vehicle remains unclaimed for seven days, a report in respect of such vehicle shall be made to the concerned police station.

(5) If an animal remains unclaimed, the Highway Administration shall make suitable arrangement for the custody and maintenance of such animal till its disposal.

IndiaCode

22. Form of application under sub-section (2) of section 38. – The application under sub-section (2) of section 38 shall be made in the Form specified in the Seventh Schedule.

23. Fees and other charges under sub-section (3) of section 38. – (1) The Highway Administration may impose fee on the persons to whom the permission is given under sub-section (3) of section 38 at the rate specified below, namely :-

$$\text{Per month fees in rupees} = \frac{\text{Cost of land forming part of the Highway occupied or applied to the proposed work under permission}}{5 \times 12}$$

(2) Where the land forming part of the Highway, in respect of which the fees imposed under sub-rule (1), is situated in the Municipal area, then, the other charges at the rate of twenty per cent of the fees imposed under sub-rule (1) may also be imposed and where such land is situated in the rural area, then, the other charges so imposed shall be ten per cent.

Explanation :- For the purposes of this sub-rule, the expression "Municipal area" has the meaning assigned to it under clause (a) of article 243 P of the Constitution and the expression "rural area" means the area other than the Municipal area.

24. Summary inquiry under section 43. – (1) The Highway Administration or the officer authorised in this behalf by such administration, if he desires to make any inquiry for the purposes of the Act, he may make a summary inquiry in the following manner, namely :-

(a) it or he as the case may be, may visit the place of unauthorised occupation of the highway land, inspect such land and reduce its or his observations in writing to reach at a conclusion for appropriate action under the Act;

(b) if it or he, as the case may be, thinks necessary, it or he may record the statement of the concerned village headman, village accountant, village watchman or other village official referred to in section 42 or any other person to reach at the conclusion that any offence including unauthorised occupation, damage or destruction of a highway land has been committed;

(c) where it or he, as the case may be, records the statement under clause (b), it or he shall record such statement in duplicate and obtain signature thereon of the concerned village headman, village accountant, village watchman, other village official or any other person, as the case may be, where statement has been so recorded.

(2) Where on the basis of the inquiry made under sub-rule (1), if the Highway Administration or the officer authorised in this behalf by such Administration is satisfied that any action is required to be taken by it or he, as the case may be, under the Act, it or he, as the case may be, shall take such action without any delay and where the Highway Administration or such officer is satisfied on the basis of such inquiry that any offence involving unauthorised occupation, damage or destruction of the highway land has been

committed, it or he as the case may be, shall without delay inform the concerned officer in charge of the police station, along with the copy of concerned observation reduced in writing under clause (a) or statement recorded under clause (b) of sub-rule (1) of such commission of offence for taking necessary action.

(3) Every Highway Administration shall send a summary report once in every three months to the Central Government stating therein the brief description of inquiries made under sub-rule (1) within the jurisdiction of such Highway Administration within such period and the actions taken on the basis of such inquiries.

(4) On receipt of the summary reports under sub-rule (3), the Central Government may issue any general or special orders under proviso to sub-section (1) of section 3, which such Government thinks fit for proper exercise of powers and discharge of functions by the Highway Administrations under the Act.

25. Manner of service or presentation of notice or bill. – Save as otherwise provided in the Act, every notice or bill issued or prepared under section 47 may be served or presented in the following manner, namely :-

(a) such notice or bill may be served on the concerned person or presented to him by handing over a copy thereof and obtaining his signature on an another copy thereof;

(b) in case the service or presentation of such notice or bill is not easily possible under clause (a), then, such notice or bill shall be sent to the concerned person by registered post at his known residence and the delivery of such registered post to such person shall be the service on or presentation to him on such notice or bill, as the case may be and in case he refuses to receive such registered post, the remarks of such refusal by a post office official on the registered post shall be deemed to be the service on or presentation to such person of such notice or bill, as the case may be;

(c) in case the service or presentation of such notice or bill is not physically possible under clauses (a) and (b), then, the contents of such notice or bill shall be published in a newspaper being circulated in the locality where the concerned person actually or voluntarily resides or carries on business or personally works for gain for his information and such publication shall be deemed to be the service of such notice or bill, as the case may be, on such person or presentation thereof to him.

26. Interpretation. – If any question arises relating to the implementation of these rules, the same shall be referred to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government shall be implemented.

24467/03 – 5

FIRST SCHEDULE
[See rule 4 (1)]

Highway Land Register

N.H. No..... K.M. No.....

S.No.	Name of State/Union Territory	Name of District	Name of Tehsil/Sub-Division	Name of Village/Mohalla	Plot No./Khasra No.	Area of the Land in acres/hectares

IndiaCode

Note : Information is to be maintained kilometre-wise in this register.

SECOND SCHEDULE
(See rule 8)

FORM OF PERMIT FOR OCCUPATION OF HIGHWAY LAND

(Under sub-section (2) of section 24 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002)

1. Name of the person to whom the permit is issued.

2. Father's Name

3. Permanent Address (with telephone no.)

4. Address for communication (with telephone no.)

5. Area of the Highway to be occupied in pursuance of the permit in sq./m.

6. Location of such area. (including NH No. and kilometrage)

7. Purpose for which the permission is granted under the permit.

8. Period with dates for which the permission is granted under the permit. From..... To.....

9. Conditions subject to which permission is granted under the permit.

10. Rent paid.

Signature and seal of the Officer granting the permit

Place:
Date :

Note :- Entries regarding renewal including the time period for which renewal is made, rent and additional charges paid therefor shall be made and endorsed on the back of this permit with seal by the officer renewing permission.

IndiaCode

THIRD SCHEDULE
(See rule 11)

FORM OF NOTICE FOR REMOVAL OF UNAUTHORISED OCCUPATON

(Under sub-section (2) of section 26 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002)

Whereas I.....on periodical inspection of the highway land on the information received by me, am satisfied that an unauthorised occupation has taken place on the Highway comprised of area.....(specify area) situated at K.M.of N.H. No. (indicate location sufficient to identify area) and such unauthorised occupation has been caused by you/you are responsible to cause such unauthorised occupation;

Therefore you.....(Name and address of person to whom notice is to be issued) take notice that you are hereby required to remove such unauthorised occupation within seven days from the date on which this notice is served on you. You may make representation within three day from the date on which this notice is served on you to.....(indicate the designation and address of the officer to whom representation is to be made) and such representation, if made, shall be heard on..... (indicate the date and place of hearing) at.....and be aware of the notice that failure to comply with this notice shall render you liable to penalty and summary eviction from the aforementioned highway land under sub-section (6) of section 26 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002.

Issued under my hand and seal at.....on.....day of.....200.....

Signature of Highway Administration or
Officer authorised
Seal

FOURTH SCHEDULE
(See rule 13)

FORM OF BILL FOR RECOVERY OF COST OF REMOVAL OF UNAUTHORISED OCCUPATION AND FINE IMPOSED

(To be served under sub-section (2) of section 27 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002)

1.	Name of person to whom the Bill is to be served.	
2.	Father's Name	
3.	Address of such person. (with telephone no.)	
4.	Location of unauthorised occupation with N.H. No. and kilometrage.	
5.	Expenditure incurred in removing unauthorised occupation/in making construction including alteration of construction/in repairing damage.	
	Additional Charge	
	Fine	
	Total	

Place:
Date:

Signature of the officer
issuing the bill
Seal

IndiaCode

FIFTH SCHEDULE
(See rule 14)

FORM OF APPLICATION FOR SPECIFIC PERMISSION FOR ACCESS TO A HIGHWAY

(Under sub-section (2) of section 29 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002)

To,

The Highway Administration,
.....
.....

1. Name of Applicant.

2. Father's Name

3. Address of applicant.
(with telephone no.)

4. Highway No. and the point of access on highway on which the permission for access is sought for.

5. Purpose of such permission.

6. The means of access to which the permission sought for relates.

7. Grounds (if any) for such permission which applicant likes to mention.

8. Period for which the permission is required. From..... To.....

9. Particulars of fee paid.

Place: Signature of the applicant

Date:

IndiaCode

SIXTH SCHEDULE
(See rule 16)

FORM OF LICENCE FOR ACCESS TO HIGHWAY

(Under sub-section (3) of section 29 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002)

1.	Name of the person to whom the licence is issued.	
2.	Father's name	
3.	Address of such person (with telephone no.)	
4.	Purpose of specific permission.	
5.	Brief description of Highway in respect of which the specific permission is given. (N.H. No. and kilometrage also to be indicated)	
6.	Means of access to which such permission relates.	
7.	Period for which the licence is valid.	From..... To.....
8.	Terms and conditions (if any).	

Place:

Date:

Signature and seal of the officer issuing the licence.

IndiaCode

SEVENTH SCHEDULE
(See rule 22)

FORM OF APPLICATION FOR CONSTRUCTION, INSTALLATION, ETC.ON HIGHWAY LAND

(Under sub-section (2) for obtaining permission under sub-section (1) of section 38 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002)

To,

The Highway Administration,
.....
.....

1. Name of applicant

2. Father's name

3. Address
(with telephone no.)

4. Location and part of Highway to be occupied.
(N.H. No. and K.M. also to be indicated)

5. Purpose

6. Period of occupancy of highway land.

7. Method of execution of work.
(Detailed drawing/map of the work to be attached)

8. Period of construction. From..... To.....

9. Method of restoration of such part of the Highway.

Place: Signature of applicant

Date:

[F. No. NH-11014/4/2003-P&M]
U.S. TIWARI, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode